

3/2/19

पत्रावली के माध्यम से पत्रकारिता वकील को उपरोक्त
 वकील काडी ने वाद पत्र को कोर्ट प्रेस
 कर आगे नहीं चलाने का निर्देश
 किया है। अतः वकील काडी के
 कोर्ट प्रेस के आदेश पर काडी
 का वाद खारिज किया जाना है।
 पत्रावली के माध्यम से मुकदमे के मसल
 का से कर है।

Not Press
 Buhup A.
 3/2/2019